

प्रमुख, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर

विभा में, प्रबंधक/प्रधानाध्यापक

विकास विद्यामन्दिर

बीक जहानाबाद

पत्रांक/शिमो/12522-201 /98-99 दिनांक 30.1.99

विषय - अशास्त्रीय मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थायी मान्यता।

महोदय,

अशास्त्रीय प्राथमिक विद्यालय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय की स्थायी मान्यता आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है, यदि बाद में भी कोई भी तथ्य खियाया गया होगा या जाँच में गलत पाया जाएगा। तो विद्यालय की स्थायी मान्यता समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मान्यता समिति को होगा। विद्यालय का संचालन स्वतन्त्र स्तर पर रहेगा। यह किसी अन्य विद्यालय से सम्बन्ध न रहेगा।

भवदीय

राणा सहस्रनाथ कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

उसी तिथि में।

पृष्ठांकन संख्या /शिमो/12277-82

प्रोत्तिलिपि निम्नांकित को सूचनायें एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर।
2. समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर
4. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा पोल्नद जहाबाबाद।
5. समस्त केन्द्री प्रधानाध्यापक जनपद फतेहपुर।
6. नगर शिक्षा अधिकारी फतेहपुर।

Manager
Vikas Vidya Mandir
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur

Vibha Mishra
VIBHA MISHRA
Principal
Vikas Vidya Mandir
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur
AFFL. No. 2132936

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर

मेमक.

जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

- 1- हासबी 0 आर 0 अख्तर सुहागपुर ललीली रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 2- श्री राधिका लाल मौर्य 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 3- सैनिक पब्लिक 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 4- जगत नारायण उस्ताद 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 5- देवभक्त विद्यापीठ 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 6- श्री लालबहादुर सिंह 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 7- माँ कमला 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 8- श्री जगतनारायण चौराहा 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 9- चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल-विद्या नगर, नगर क्षेत्र-फतेहपुर
- 10- विकास विद्या मंदिर 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 11- अदित्याबाई होल्कर 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 12- सुभाषचन्द्र बोस 0 सुहागपुर 0 मौर्य रोड, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ
- 13- स्व० रामचरण सेमोरियल पब्लिक स्कूल-ललीली, त्रिकोटी, नोडल विद्यापीठ

पत्रांक/

/2002-03 दिनांक

विषय:- असाक्षीय उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा-6, 7 व 8 को अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या/646/15-6-97-18सं० 178/69 दिनांक

1-8-97 के अन्तर्गत सुहागपुर स्कूलों की मान्यता के नियमों, शर्तों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 25-03-2003 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता इस आदेश के निर्णय होने की तिथि से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में किसी भी तथ्य को छिपाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

- 1- विद्यालय में एक विज्ञान और भाषा का अध्यापक अनिवार्य रूप से होंगे।
- 2- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का पद आरक्षण नियमों के आलोक में भरे जायें।
- 3- शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन किया जाय।
- 4- विज्ञान घट में प्रत्येक छात्राई 250/- रुपये जमा किया जाय।
- 5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त नियमों का लेखा उचित रूप से रखा जाय जिस ड्राफ्ट में या अनुचित रूप में जमा किया जाय। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाय।
- 6- विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त पाठ्यक्रम में नहीं शिक्षा दी जाय और नहीं पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाय।
- 7- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक या कर्मचारी को वही वेतनमान भुगतान तथा अतिरिक्त महंगाई भुत्ता देने का अभिमेदार होगा जो परिषद के अर्थात् वही अध्यापक व कर्मचारियों को दिया जाता है।

Manager

Vikas Vidya Mandir
Education Centre

Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur

VIBHA Mishra
Principal
Vikas Vidya Centre
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur
AFL. No. 213236

- 9- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में ही होगा।
- 10- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह विभाग के नियमों और समय-समय पर दिये गये निर्देशों/अनिवार्य का पालन करेंगा।
- 11- विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होंगे। शिक्षा विभाग में अग्र-प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाये।
- 12- यथा समय प्रबन्धन समिति का बवनीकरण कराया जायेगा और उसकी सूचना विभाग को दी जायेगी।
- 13- एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक होंगे जिसमें एक शिक्षा अध्यापक एक विज्ञान अध्यापक होंगे। एक विषयिक एक परिवार के सदस्य दिये जाते हैं। इस प्रकार विद्यालय को कुल जनशक्ति 07 की होगी।
- 14- शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में अथवा किसी प्रकार का गलत तथ्य/अश्लेष प्रस्तुत किये जाने या गलत पढ़े जाने पर इस निष्कर्ष पर पुनः विचार का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा बृहत्त मातृता के प्रत्याहरण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा-12 के अनुसार कार्यवाही वांछनीय होगी।
- 15- अनिवार्य रूप से विद्यालय में पैयजल/मन्त्रालय/शौचालय हों।
- 16- विज्ञान सामग्री एवं पुस्तकें पाँच-पाँच हजार रुपये के होंगी चाहिए।
- 17- सुरक्षित/प्राभूतकोष रु० 12,000=00 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के परामर्श में बंधाक हों।
- 18- विद्यालय में खेल को समुचित व्यवस्था हों।
- 19- कक्षा की मात्र के अनुसार छात्रसंख्या होनी चाहिए।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

सू० संख्या/ 10207-29 /2002-03 तदनुसार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा, परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद।
- 3- जिला सभाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।
- 4- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।
- 5- वित्त एवं लेखा अधिकारी, वे० शिक्षा-फतेहपुर।
- 6- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।
- 7- नगर शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर/बिन्दकी।
- 8- समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जमपद-फतेहपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

Manager
Vikas Vidya Mandir
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehp

Vibha Mishra
VIBHA MISHRA
Principal
Vikas Vidya Mandir
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur
AFFL. No: 2132936

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद फतेहपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद फतेहपुर

सेवा में,

प्रबंधक / प्रधानाध्यापक,
विकास विद्या मन्दिर,
चौक जहानाबाद

पत्रांक-

5163-69

/2017-18 दिनांक 04-9-2017

विषय:-

अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय विकास विद्या मन्दिर जू0हा0स्कूल, चौक जहानाबाद के
नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अशासकीय विद्यालय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय विकास विद्या मन्दिर जू0हा0 स्कूल, चौक जहानाबाद फतेहपुर का नाम संशोधित कर विकास विद्या मन्दिर एजुकेशन सेण्टर करने की संस्तुति प्रदान की जाती है। यदि बाद में कोई तथ्य छिपाया गया होगा या जॉच में गलत पाया जायेगा तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मान्यता समिति का होगा। विद्यालय का संचालन स्वतन्त्र स्तर पर रहेगा। यह किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध न रहेगा।

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद फतेहपुर

प्रू सं0 -

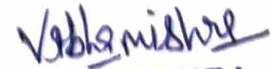
/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर।
2. समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर।
4. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
5. समस्त केन्द्री प्रधानाध्यापक जनपद फतेहपुर।
6. नगर शिक्षा अधिकारी फतेहपुर।


Manager
Vikas Vidya Mandir
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद फतेहपुर


VIBHA MISHRA
Principal
Vikas Vidya Mandir
Education Centre
Kasba Kora Jahanabad, Fatehpur
AFFL. No: 2132936